


26/6/25

पत्रावली क्षाप्त पेश हुई। ग्रार्थी वकील
अनुपस्थित। मूल कांड का निस्तारण हो-चुका है
मूल कांड का निस्तारण होने से ग्रार्थीना पत्र-
अलग से चलाये जाने का कोई औचित्य
नहीं होने से मूल कांड के वाच-वाच स्थगन
ग्रार्थीना पत्र इती स्तर पर खारिज किया जाता
है पत्रावली कुलल शुमार होकर जाविले
दफतर हो एकर नम्बर से कम है।


सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

